BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL,
CASE NUMBER : OA 146/2023 (CZ)

IN THE MATTER OF:

PRATAP VAARE ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF M.P. & Ors ....RESPONDENT

INDEX

Sr. No.	Particulars	Annexure	Page
1.	Report in compliance to the Hon'ble NGT order dated 12/07/2024 in the matter of OA 146/2023 (CZ) Mr. Pratap Vaare Vs. State of M.P. & Others.		1
2.	The intimation issued vide letter dated 23/08/2024 to the person concerned informing them the details of environmental compensation imposed upon and giving opportunity of hearing through personal appearance or through written submission within 15 days time to MPPCB	Annexure – 01	02-09

Date:28.08.2024

Submitted by MPPCB:-

through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

REPORT

Sub: Report in compliance to the Hon'ble NGT order dated 12/07/2024 in the matter of OA 146/2023 (CZ) Mr. Pratap Vaare Vs. State of M.P. & Others.

Hon'ble NGT issued following instructions on dated 12/07/2024 in the matter of OA 146/2023 (CZ) Mr. Pratap Vaare Vs. State of M.P. & Others**.**:-

> *"…3. Learned counsel Ms. Parul Bhadoria for State PCB has filed action taken report with regard to the environmental compensation. Copy of the same be provided to the person concerned and after giving an opportunity of hearing the matter may be finalized and report be submitted before the next date of hearing."*

In compliance to the above order of Hon'ble NGT dated 12/07/2024, following actions has been taken regarding providing the opportunity of hearing for finalization of environmental compensation:-

1) The letters were issued to the concerned colonies namely 1) The Prospera Multi Storey building, 2) Palmcrest Multi Storey building, 3) Priyadarshini Colony, 4) Gulabi Nagar (Pink City as per petition), Ward no 53, Bagmugaliya, Bhopal through their responsible persons. The detail of the responsible persons is obtained from Building Permission Department of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal.

2) The intimation is issued vide letter dated 23/08/2024 to the person concerned informing them the details of environmental compensation imposed upon and giving opportunity of hearing through personal appearance or through written submission within 15 days time to MPPCB. Copies of the letters issued are enclosed as **Annexure – I.**

27/08/2024	27/8/2024
Brajesh Sharma **Regional Officer** **RO, MPPCB, Bhopal**	**Prakamya Tiwari** **AE** **RO, MPPCB, Bhopal**

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1898 /क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 23/08 /2024

प्रति,

अध्यक्ष,
लेण्डमार्क वेंचर्स लिमिटेड,
(दी प्रोसपेरा कॉलोनी),
एफ–4 /आर 28, पुरषोत्तम ईस्ट एण्ड,
जोन–2, एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.),

विषयः– **माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस।**

संदर्भः– **माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 ।**

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी (CZ) में प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में आपको माननीय एन.जी.टी. द्वारा पक्षकार बनाया गया है।

1. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा प्रकरण की सुनवाई पश्चात् पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुसार प्रकरण की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कलेक्टर भोपाल के प्रतिनिधि एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को रखा गया था एवं समिति को नियमानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।
2. यह कि उपरोक्तानुसार गठित समिति के द्वारा दिनांक 20.12.2023 को आपके आवासीय परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
3. यह कि उपरोक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आपके आवासीय परियोजना पर रूपये 8.45 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई थी।
4. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 04.01.2024 को प्रकरण की सुनवाई उपरांत जारी आदेश में समिति द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु बोर्ड को कार्यवाही के आदेश जारी किये गये थे।

5. यह कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.02.2024 को पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु आपको नोटिस जारी किया गया तथा 15 दिवस में इस संबंध में प्रतिउत्तर देने का अवसर प्रदान किया गया था।

6. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 21.05.2024 को पारित आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति को उलंघन होने की तिथि से पुनः गणना करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. यह कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.05.2024 के अनुसार पिटिशनर द्वारा सीवेज छोड़ने की जानकारी माननीय एन.जी.टी. को दिनांक 22.09.2024 को दी गई थी, को उलंघन की तिथि मानते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पुनः गणना की गई।

8. यह कि उपरोक्तानुसार सीपीसीबी की गाईडलाईन्स अनुसार आपके आवासीय परियोजना पर पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपये 8.94 लाख है।

9. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित आदेश में पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को संबंधितों को सूचित करते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के आदेश दिये गये है।

उपरोक्तानुसार माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 12.07.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी संस्था के आवासीय परियोजना पर रूपये 8.94 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इसके संबंध में आपको सुनवाई का सुअवसर प्रदान किया जाता है। कृपया पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप में अपने अभिमत से अवगत कराने का कष्ट करे।

उक्त अवधि में व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से अभिमत प्राप्त न होने की स्थिति में बोर्ड एकतरफा कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1899 **/क्षेका/प्रनिबो/2024** **भोपाल, दिनांक** 23/08 **/2024**

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, कोलार, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1894 /क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 23 /08 /2024

प्रति,

अध्यक्ष,
बिलीफ बिल्डकॉन,
(पॉम क्रस्ट कॉलोनी),
ए–29, न्यू फ्रेंडस सोसायटी, चूना भट्टी,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस।

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण कमांक 146/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 ।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी (CZ) में प्रकरण कमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में आपको माननीय एन.जी.टी. द्वारा पक्षकार बनाया गया है।

1 यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा प्रकरण की सुनवाई पश्चात् पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुसार प्रकरण की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कलेक्टर भोपाल के प्रतिनिधि एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को रखा गया था एवं समिति को नियमानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

2. यह कि उपरोक्तानुसार गठित समिति के द्वारा दिनांक 20.12.2023 को आपके आवासीय परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

3. यह कि उपरोक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आपके आवासीय परियोजना पर रूपये 3.55 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई थी।

4. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 04.01.2024 को प्रकरण की सुनवाई उपरांत जारी आदेश में समिति द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु बोर्ड को कार्यवाही के आदेश जारी किये गये थे।

5. यह कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.02.2024 को पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु आपको नोटिस जारी किया गया तथा 15 दिवस में इस संबंध में प्रतिउत्तर देने का अवसर प्रदान किया गया था।

6. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 21.05.2024 को पारित आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति को उलंघन होने की तिथि से पुनः गणना करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. यह कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.05.2024 के अनुसार पिटिशनर द्वारा सीवेज छोड़ने की जानकारी माननीय एन.जी.टी. को दिनांक 22.09.2024 को दी गई थी, को उलंघन की तिथि मानते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पुनः गणना की गई।

8. यह कि उपरोक्तानुसार सीपीसीबी की गाईडलाईन्स अनुसार आपके आवासीय परियोजना पर पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपय 4.80 लाख है।

9. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित आदेश में पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को संबंधितों को सूचित करते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के आदेश दिये गये है।

उपरोक्तानुसार माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 12.07.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी संस्था के आवासीय परियोजना पर रूपय 4.80 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इसके संबंध में आपको सुनवाई का सुअवसर प्रदान किया जाता है। कृपया पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप में अपने अभिमत से अवगत कराने का कष्ट करे।

उक्त अवधि में व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से अभिमत प्राप्त न होने की स्थिति में बोर्ड एकतरफा कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1895 **/क्षेका/प्रनिबो/2024** **भोपाल, दिनांक** 23 /08 **/2024**

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, कोलार, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक 1896 /क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 23 /08 /2024

प्रति,

अध्यक्ष,
(प्रियदर्शनी कॉलोनी),
प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी समिति,
एल.बी.–19 ब्लॉक–बी, मानसरोवर काम्पलेक्स,
अपोजिट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस।

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण कमांक 146/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 ।

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी (CZ) में प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में आपको माननीय एन.जी.टी. द्वारा पक्षकार बनाया गया है।

1. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा प्रकरण की सुनवाई पश्चात् पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुसार प्रकरण की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कलेक्टर भोपाल के प्रतिनिधि एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को रखा गया था एवं समिति को नियमानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।
2. यह कि उपरोक्तानुसार गठित समिति के द्वारा दिनांक 20.12.2023 को आपके आवासीय परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
3. यह कि उपरोक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आपके आवासीय परियोजना पर रूपये 7.34 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई थी।
4. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 04.01.2024 को प्रकरण की सुनवाई उपरांत जारी आदेश में समिति द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु बोर्ड को कार्यवाही के आदेश जारी किये गये थे।

5. यह कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.02.2024 को पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु आपको नोटिस जारी किया गया तथा 15 दिवस में इस संबंध में प्रतिउत्तर देने का अवसर प्रदान किया गया था।

6. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 21.05.2024 को पारित आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति को उलंघन होने की तिथि से पुनः गणना करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. यह कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.05.2024 के अनुसार पिटिशनर द्वारा सीवेज छोड़ने की जानकारी माननीय एन.जी.टी. को दिनांक 22.09.2024 को दी गई थी, को उलंघन की तिथि मानते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पुनः गणना की गई।

8. यह कि उपरोक्तानुसार सीपीसीबी की गाईडलाईन्स अनुसार आपके आवासीय परियोजना पर पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपय 7.76 लाख है।

9. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित आदेश में पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को संबंधितों को सूचित करते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के आदेश दिये गये है।

उपरोक्तानुसार माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 12.07.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी संस्था के आवासीय परियोजना पर रूपय 7.76 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इसके संबंध में आपको सुनवाई का सुअवसर प्रदान किया जाता है। कृपया पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप में अपने अभिमत से अवगत कराने का कष्ट करे।

उक्त अवधि में व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से अभिमत प्राप्त न होने की स्थिति में बोर्ड एकतरफा कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1897 **/क्षेका/प्रनिबो/2024** **भोपाल, दिनांक** 23 **/**08 **/2024**

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, कोलार, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी

/

क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 1900 /क्षेका/प्रनिबो/2024 भोपाल, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

प्रशासक,
गुलाबी नगर गृह निर्माण,
सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
सी–5, गुलाबी नगर, नियर कृष्णा आर्केड,
मेन 80 फीट रोड, बागसेवनिया, भोपाल (म.प्र.)

विषयः– माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस।

संदर्भः– माननीय एनजीटी द्वारा प्रकरण कमांक 146/2023 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय एनजीटी (CZ) में प्रकरण कमांक 146/2023 (प्रताप वारे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में आपको माननीय एन.जी.टी. द्वारा पक्षकार बनाया गया है।

1. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा प्रकरण की सुनवाई पश्चात् पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुसार प्रकरण की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें कलेक्टर भोपाल के प्रतिनिधि एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को रखा गया था एवं समिति को नियमानुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।
2. यह कि उपरोक्तानुसार गठित समिति के द्वारा दिनांक 20.12.2023 को आपके आवासीय परियोजना का स्थल निरीक्षण किया गया था। जिसकी रिपोर्ट माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
3. यह कि उपरोक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आपके आवासीय परियोजना पर रूपये 3.55 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई थी।
4. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 04.01.2024 को प्रकरण की सुनवाई उपरांत जारी आदेश में समिति द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु बोर्ड को कार्यवाही के आदेश जारी किये गये थे।

5. यह कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.02.2024 को पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु आपको नोटिस जारी किया गया तथा 15 दिवस में इस संबंध में प्रतिउत्तर देने का अवसर प्रदान किया गया था।

6. यह कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 21.05.2024 को पारित आदेश अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति को उलंघन होने की तिथि से पुनः गणना करने हेतु निर्देशित किया गया।

7. यह कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21.05.2024 के अनुसार पिटिशनर द्वारा सीवेज छोड़ने की जानकारी माननीय एन.जी.टी. को दिनांक 22.09.2024 को दी गई थी, को उलंघन की तिथि मानते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति की पुनः गणना की गई।

8. यह कि उपरोक्तानुसार सीपीसीबी की गाईडलाईन्स अनुसार आपके आवासीय परियोजना पर पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रूपये 4.80 लाख है।

9. यह कि माननीय एन.जी.टी द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित आदेश में पुनरीक्षित पर्यावरण क्षतिपूर्ति को संबंधितों को सूचित करते हुए सुनवाई का अवसर दिये जाने के आदेश दिये गये है।

उपरोक्तानुसार माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 12.07.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी संस्था के आवासीय परियोजना पर रूपय 4.80 लाख की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इसके संबंध में आपको सुनवाई का सुअवसर प्रदान किया जाता है। कृपया पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप में अपने अभिमत से अवगत कराने का कष्ट करे।

उक्त अवधि में व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित रूप से अभिमत प्राप्त न होने की स्थिति में बोर्ड एकतरफा कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ. क्रमांक 1901 **/क्षेका/प्रनिबो/2024** **भोपाल, दिनांक** 23/08 **/2024**

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, कोलार, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रशासक, गुलाबी नगर कॉलोनी, गुलाबी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल की ओर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी